न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2017 (आरसीएमएस संख्या : 2017/00503)

रामपाल ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री औंकारमल, जाति--ब्रह्मभट्ट, निवासी--कुंज गली, सुनारों का मोहल्ला, तहसील--फागी, जिला--जयपुर।

निगरानीकर्त्ता,

बनाम

अनार देवी पत्नी श्री रामदेव, जाति--ब्रह्मभट्ट, निवासी--देव नगर, फागी, जिला--जयपुर।

गैर--निगरानीकर्त्ता,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत--फागी दिनांक 20.04.2012 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 07.08.2013 को जारी किया गया पट्टा सं0 88 बहक अनार देवी, निवासी--देवनगर, फागी को निरस्त करने बाबत्।)

उपस्थितिः--

1. श्री राधेश्याम शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से।
2. गैर--निगरानीकर्त्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक :23.12.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत--फागी ने अपने फैसला दिनांक 20.04.2012 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत 200/-- रू0 विनियमितिकरण शुल्क, 50/-- रू0 पट्टा फीस व 101/-- रू0 इजाजत फीस/निर्माण स्वीकृति कुल राशि 351/-- रू0 प्राप्त कर अनार देवी के हक में पट्टा जारी करने की आज्ञा पारित की है और इसके अनुसरण में पट्टा संख्या 88 दिनांक 07.08.2013 जारी किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर--निगरानीकर्ता जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। गैर--निगरानीकर्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री राधेश्याम शर्मा का कथन है कि निगरानी–अधीन ग्राम पंचायत, फागी की आज्ञा दिनांक 20.04.2012 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत–फागी को वादग्रस्त भू–खण्ड के संबंध में इन समस्त तथ्यों की जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि में से काफी भूमि का पट्टा तो निगरानीकर्ता के पास पहले से ही है। वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा गैर–निगरानीकर्ता को बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये बाला–बाला दिया है वह भूमि निगरानीकर्ता की है किन्तु निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिऐ एवं बिना नोटिस दिऐ गुप–चुप में चुनौतिधीन आज्ञा पारित कर पट्टा जारी किया है जो एकतरफा व मनमाने रूप से पारित की गई आज्ञा होने से निरस्तनीय है। चुनौतिधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व न तो नियमानुसार मौका मुआयना हेतु पंचो की नियुक्ति की है और न ही पंचो द्वारा कोई मौका देखा गया है। किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रोविजनल फैसला नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि का मालिक निगरानीकर्ता है, उसी का कब्जा था किन्तु इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साफ जाहिर है कि सारी कार्यवाही घर–बैठे एक दो दिन में फर्जी तरीके से की गई है। पत्रावली में प्रत्येक कार्यवाही या तो प्रिन्टेड है या फोटोस्टेट है, जिसको भरकर फैसला दिया गया, जो आदेश की तारीफ में नही आने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही गलत तरीका अपना कर गुपचुप में की है, जिससे कि निगरानीकर्ता को अनुचित तरीके से नुकसान पहुंचाया जाकर गैर–निगरानीकर्ता को अनुचित रूप से फायदा हुआ है। अतः चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 20.04.2012 अवैध रूप से पारित कर निगरानीकर्ता के मालिकाना हक की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तीय है। अतः आज्ञा दिनांक 20.04.2012 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा संख्या 88 दिनांक 07.08.2013 निरस्त फरमाया जावे।

हमने निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत–फागी की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर–निगरानीकर्ता द्वारा खाम मकान के पट्टे हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया है परन्तु इस प्रार्थना–पत्र में उसका कितना वर्षो पुराना कब्जा है, खाम मकान की सीमाऐं क्या है अंकित नहीं है, न ही नक्शा संलग्न है, जबकि दिनांक 27.12.2011 की कार्यवाही में नक्शा की कॉपी पेश किया जाना अंकित है। दिनांक 05.01.2012 की आदेशिका में वार्ड पंच रहीम खां, सत्यनारायण गुर्जर व श्रीमती सुशीला को मौका देखने हेतु नियुक्त किया जाना दर्शाया गया है, जबकि फैसला फार्म दिनांक 20.04.2012 में दिनांक 27.12.2011 को रहीम खां, सत्यनारायण गुर्जर व श्रीमती सुशीला देवी को मौका देखने हेतु नियुक्त किया जाना अंकित किया है। आदेशिका दिनांक 05.01.2012 में मौका देखने हेतु तीन पंचो को नियुक्ति किया जाना दर्शाया है और आदेशिका दिनांक 20.01.2012 में अंकित किया गया है कि वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल मिसल है जबकि फैसला फार्म दिनांक 20.04.2012 में वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 05.01.2012 को कोरम के समक्ष मौका रिपोर्ट पेश किया जाना अंकित किया है परन्तु जो मौका रिपोर्ट पर पंचों के हस्ताक्षर है उस पर न तो दिनांक अंकित है और न ही हस्ताक्षरों के साथ दिनांक अंकित है परन्तु क्रमांक 94 दिनांक 27.12.2011 दर्ज है। अतः विरोधाभाषी तथ्य अंकित है। मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि गैर–निगरानीकर्ता

का कितने वर्षो पुराना कब्जा है। आपत्ति नोटिस दिनांक 20.01.2012 को जारी किया जाना जाहिर है परन्तु किसके द्वारा चस्पा किया गया किनके सामने चस्पा किया व किस दिनांक को चस्पा किया, कोई सूचना अंकित नही है। ऐसी स्थिति में नोटिस जारी हुआ या नहीं हुआ, आपत्ति नोटिस अवधि का पर्याप्त समय दिया गया अथवा नहीं दिया गया पत्रावली से स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं होता है। आदेशिकाऐं जो है, वह कम्प्यूटर–प्रिन्टेड है, हस्तलिखित नहीं है, जिसमें मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, जिसे स्वच्छ आदेशिका की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नकल पट्टा संख्या–93 दिनांक 21.02.1984 बहक रामपाल के अवलोकन से जाहिर जोता है कि पट्टे की पुश्त पर जमीन के जो पडैसी दर्शाये गऐ है उसमें उत्तर दिशा में रामपाल का स्वयं का शेष भू–खण्ड दर्शाया हुआ है जबकि चुनौतिधीन पट्टे में नवरतन, लक्ष्मीनारायण सोनी का पुख्ता मकान अंकित किया गया है। पट्टा जारी किये जाने की दिनांक 07.08.2013 की दिनांक को गैर–निगरानीकर्ता द्वारा रू 10/– का नान्ज्यूडिसियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र दिया गया है इसमें भी कितने वर्ष पुराना कब्जा है, सीमा का विवरण आदि दर्ज नहीं है, फैसला होने के बाद शपथ–पत्र क्यों दिया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है। उक्त विवेचनानुसार चुनौतिधीन आज्ञा दिनांक 20.04.2012 एवं इसके अनुसरण में जारी किये गऐ पट्टा सं0–88 दिनांक 07.08.2012 को न्यायसंगत नहीं पाते है। अतः निगरानी–निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 20.04.2012 एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा दिनांक 07.08.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत–फागी को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई–साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नियमानुसार मौका रिपोर्ट आदि प्राप्त कर पुनः गुणावगुण के आधार पर न्यायसंगत निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर